प्रेषक,

सुरेश चन्द्रा,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन ।

सेवामें,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद,
उ0प्र0, लखनऊ ।

राजस्व अनुभाग-2 लखनऊः दिनांकः 10 जनवरी, 2019

विषयः- नदियों में मत्स्य आखेट हेतु पट्टा/ठेका का अधिकार दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या-31309/2018 ''मत्स्य जीवी सहकारी समिति लि0 बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य'' में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा नदियों में मत्स्य आखेट हेतु पट्टा/ठेका का अधिकार दिये जाने के लिए नीति बनाये जाने के आदेश पारित किए गए हैं। अतः उ0प्र0 राज्य के भौगोलिक क्षेत्राधिकार में पड़ने वाली नदियों/बहती जल धाराओं में मत्स्य आखेट प्रबन्धन हेतु निम्न व्यवस्था निर्धारित की जाती हैः-

(क) मत्स्य आखेट क्षेत्रों का चिन्हांकन-

(1) उ0प्र0 राज्य के भौगोलिक क्षेत्राधिकार में पड़ने वाली नदियों में मत्स्य आखेट (शिकारमाही) हेतु सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी द्वारा प्रत्येक तहसील में उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में तहसील स्तरीय मत्स्य आखेट समिति का गठन निम्नवत् किया जायेगा-

1.	**उप जिलाधिकारी**	**अध्यक्ष**
2.	**जिलाधिकारी द्वारा नामित खण्ड विकास अधिकारी**	**सदस्य**
3.	**अधिशासी अभियंता, सिंचाई द्वारा नामित सहायक अभियंता**	**सदस्य**
4.	**अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत द्वारा नामित अधिकारी**	**सदस्य**
5.	**सहायक वन संरक्षक**	**सदस्य**
6.	**सहायक निदेशक, मत्स्य/जनपदीय मत्स्य अधिकारी**	**सदस्य सचिव**

(2) उक्त समिति द्वारा तहसील में बहने वाली नदियों/बहती जलधाराओं में सर्वेक्षण कर मत्स्य आखेट क्षेत्रों का चिन्हांकन किया जायेगा। मत्स्य आखेट क्षेत्रों का चिन्हांकन ग्ाम पंचायत अथवा आवागमन की सुगमता अथवा नौका घाट आदि सीमा विभाजक के रूप में लेते हुए किया जायेगा।

(3) उक्त समिति द्वारा नदियों में मत्स्य आखेट क्षेत्रों का चिन्हांकन, मत्स्य मात्रा के निर्धारण एवं उसका न्यूनतम आरक्षित मूल्य निर्धारण का कार्य प्रत्येक वर्ष माह अप्रैल में पूर्ण किया जायेगा।

(4) नदियों में मत्स्य आखेट हेतु प्रतिबन्धित क्षेत्रों को मत्स्य आखेट क्षेत्रों के चिन्हांकन से पृथक रखा जायेगा ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(ख) मत्स्य आखेट क्षेत्रों में मत्स्य मात्रा का निर्धारण-

(1) वर्तमान नदियों/बहती जलधाराओं में जल प्रवाह की लम्बाई, चैडाई एवं गहराई को दृष्टिगत रखते हुए चिन्हित मत्स्य आखेट क्षेत्रों में संभावित मत्स्य उत्पादकता का निर्धारण किया जायेगा।

(2) मत्स्य उत्पादकता के सम्बन्ध में यदि कोई मत्स्य उत्पादन का आंकडे उपलब्ध हों, तो उसका भी संज्ञान लिया जाय।

(3) मत्स्य मात्रा के निर्धारण के आधार पर मत्स्य आखेट क्षेत्र का न्यूनतम आरक्षित मूल्य निर्धारित किया जायेगा।

(4) न्यूनतम आरक्षित मूल्य का निर्धारण (1)क(1), में गठित समिति द्वारा किया जायेगा जिसका अनुमोदन जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

(ग) मत्स्य आखेट हेतु मत्स्य जीवी सहकारी समितियों की पात्रता का वरीयताक्रम निम्नवत होगा-

(क) संबंधित ग्राम में निवास करने वाले मछुआ समुदाय के व्यक्तियों की सहकारी समितियां जो उ0प्र0 सहकारी समिति अधिनियम, 1965 के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकृत हों और मत्स्य पालन विभाग, उ0प्र0 द्वारा मान्यता प्राप्त हो,

(ख) संबंधित न्याय पंचायत क्षेत्र में निवास करने वाले मछुआ समुदाय के व्यक्तियों की सहकारी समितियां, जो ऊपर की भांति पंजीकृत और मान्यता प्राप्त हो,

(ग) संबंधित विकास खण्ड में निवास करने वाले मछुआ समुदाय की सहकारी समितियां जो ऊपर की भांति पंजीकृत और मान्यता प्राप्त हो,

(घ) संबंधित जनपद में निवास करने वाले मछुआ समुदाय की सहकारी समितियां जो ऊपर की भांति पंजीकृत और मान्यता प्राप्त हो,

(ड.) उ0प्र0 राज्य में निवास करने वाले मछुआ समुदाय की सहकारी समितियां जो ऊपर की भांति पंजीकृत और मान्यता प्राप्त हो,

(च) अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की सहकारी समितियां जो ऊपर की भांति पंजीकृत और मान्यता प्राप्त हो,

(छ) अन्य सहकारी समितियां जो ऊपर की भांति पंजीकृत और मान्यता प्राप्त हो,

स्पष्टीकरण

1. चिन्हित मत्स्य आखेट क्षेत्र जिस ग्राम/ग्रामों में पड़ता है उस ग्राम/ग्रामों की ग्राम पंचायत/पंचायतों में पड़ने वाली मत्स्य जीवी सहकारी समितियां पात्र मानी जायेगी।

2. यदि चिन्हित मत्स्य आखेट क्षेत्र में केवल एक मत्स्य जीवी सहकारी समिति पात्र है तो न्यूनतम आरक्षित मूल्य पर पट्टा किया जायेगा । यदि पात्रता सूची में एक से अधिक मत्स्य जीवी सहकारी समितियां हैं तो मौके पर नीलामी करायी जायेगी। जिसमें केवल पात्रता सूची में उल्लिखित समितियों के अधिकृत प्रतिनिधि ही प्रतिभाग कर सकेंगे ।

3. यदि चिन्हित मत्स्य आखेट क्षेत्र वाली नदी दो जिलों की सीमाओं से होकर पूरब पश्चिम बहती है तो उत्तर में पड़ने वाले जनपद के जिलाधिकारी द्वारा प्रथम वर्ष में पट्टा/नीलामी की जायेगी और दक्षिण में पड़ने वाले जिलाधिकारी द्वारा दूसरे वर्ष पट्टा/नीलामी की जायेगी । इसी प्रकार यदि नदी उत्तर दक्षिण में बहती है तो पूरब में पड़ने वाले जनपद के जिलाधिकारी द्वारा प्रथम वर्ष में पट्टा/नीलामी की जायेगी और पश्चिम में पड़ने वाले जिलाधिकारी द्वारा दूसरे वर्ष पट्टा/नीलामी की जायेगी। यह व्यवस्था क्रमानुसार आगे की अवधि के लिये भी जारी रहेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2- यदि चिन्हित मत्स्य आखेट क्षेत्र हेतु पट्टा आवंटन के लिये केवल एक मत्स्य जीवी सहकारी समिति पात्र है, तो पट्टा न्यूनतम आरक्षित मूल्य पर या राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर नियत भाटक की धनराशि पर दिया जायेगा।

3- संबंधित जिलाधिकारी द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी या उप जिलाधिकारी पट्टा आवंटन/नीलाम अधिकारी होगा।

4- चिन्हित मत्स्य आखेट क्षेत्रों में पट्टा/नीलामी समिति द्वारा माह मई व जून के अन्त तक कर दी जायेगी।

5- पट्टा आवंटन/नीलामी अधिकारी द्वारा चिन्हित मत्स्य आखेट क्षेत्रों के पट्टा आवंटन/नीलामी की सूचना जनपद में पर्याप्त प्रचार-प्रसार वाले कम से कम दो हिन्दी समाचार पत्रों में प्रकाशित करायी जायेगी। मत्स्याखेट के पट्टा/नीलामी के आवेदन हेतु कम से कम 21 दिन (3 सप्ताह) का समय दिया जायेगा।

6- मत्स्य आखेट समिति बोली में उच्चतम धनराशि वाली मत्स्य जीवी सहकारी समिति से बोली की 25 प्रतिशत धनराशि तत्काल जमा करायेगी। अवशेष धनराशि एक सप्ताह में जमा करना अनिवार्य होगा ।

7- उच्चतम बोली की धनराशि जमा कर दी गयी हो, तो पात्रता सूची, नीलामी प्रपत्र और बोली की धनराशि को जमा करने संबंधी विवरण सहित तहसील स्तरीय मत्स्य आखेट समिति अपनी आख्या सम्बन्धित जिलाधिकारी को अग्रसारित करेगी ।

8- यदि जिलाधिकारी का समाधान हो जाता है कि मत्स्य आखेट क्षेत्र को आवंटित करने का निर्णय नियमों के उपबन्धों के अनुसार किया गया है तो जिलाधिकारी पट्टा/नीलामी की स्वीकृति बिन्दु संख्या-12 में निर्धारित शर्तो के अधीन प्रदान कर देगें।

9- पट्टा/नीलामी से प्राप्त धनराशि की 25 प्रतिशत धनराशि आनुपातिक रूप से संबंधित ग्राम पंचायतों को 25 प्रतिशत धनराशि जिला पंचायत को और 50 प्रतिशत धनराशि जिलाधिकारी द्वारा स्थापित किये जाने वाले मत्स्य विकास निधि के बैंक खाते में जमा की जायेगी जिसका उपयोग जिलाधिकारी के निर्देशानुसार मत्स्य विकास कार्यक्रमों में व्यय किया जा सकेगा।

10- मत्स्य आखेट पट्टा/नीलामी से क्षुब्ध व्यक्ति पट्टा/नीलामी की स्वीकृति की तिथि से 30 दिन के अन्दर सम्बन्धित मण्डलायुक्त को अपील कर सकता है । मण्डलायुक्त के आदेश के विरूद्ध 30 दिन के अन्दर राजस्व परिषद में निगरानी योजित की जा सकती है और निगरानी में पारित आदेश अन्तिम आदेश होगा।

<u>(घ) मत्स्य आखेट हेतु शर्ते-</u>

(1) पट्टाधारक/नीलामी प्राप्तकर्ता द्वारा प्रत्येक वर्ष 01 जून से 31 अगस्त तक नदियों में मत्स्य आखेट प्रतिबन्धित रखा जायेगा।

(2) पट्टाधारक/नीलामी प्राप्तकर्ता के द्वारा बहती हुयी नदी/जलधारा के प्रवाह को रोकने का प्रयास नहीं किया जायेगा और न ही नदी/जलधारा में बाड़े (Fixed Engine) लगाये जायेंगे।

(3) मछुआरों के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान हेतु नदियों में बढ़ते हुए प्रदूषण एवं घटती हुई मत्स्य सम्पदा के दृष्टिगत पट्टाधारक/नीलामी प्राप्तकर्ता द्वारा मत्स्य विभाग के अधिकारियों की देखरेख में 2000 मत्स्य अंगुलिका (70 से 100 मि0मी0आकार) प्रति किमी0 की दर से भारतीय मेजर कार्प मत्स्य प्रजातियों को नदियों में पुनर्स्थापित करने के लिए रिवर रैन्चिंग कराया जायेगा।

(4) पट्टाधारक/नीलामी प्राप्तकर्ता नदी में कोई ऐसा विषैला अथवा विस्फोटक पदार्थ उपयोग में नहीं लायेगा जिससे जल प्रदूषण एवं जलीय जीव जन्तुओं की मृत्यु होने की सम्भावना हो।

(5) पट्टाधारक/नीलामी प्राप्तकर्ता को नदी में कछुआ, घड़ियाल, गैन्जेटिक डॉलफिन, मगर एवं अन्य प्रतिबन्धित जलीय वन्य जीवों को पकड़ने का अधिकार नहीं होगा।

(6) मत्स्य आखेट हेतु प्रतिबन्धित श्रेणी के जाल का प्रयोग नहीं किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(7) पट्टाधारक/नीलामी प्राप्तकर्ता को नदी के उस भाग में जो उसने नीलाम में लिया है प्रतिबन्धित अवधि में जीरा एकत्र करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

(8) मत्स्य विभाग को परिस्थिति विशेष में जबकि मछली के सम्पूर्ण विनाश का भय उत्पन्न हो जावे तो शिकारमाही बन्द करने अथवा नियंत्रित करने का पूर्ण अधिकार होगा।

(9) मत्स्य विभाग के कर्मचारियों/अधिकारियों को नदी में अनुसंधान कार्य हेतु प्रायोगिक शिकारमाही करने में पट्टाधारक/नीलाम प्राप्तकर्ता को कोई आपत्ति नहीं होगी।

(10) पट्टाधारक/नीलामी प्राप्तकर्ता को समय≤ पर राज्य सरकार द्वारा मत्स्य पालन व मत्स्य आखेट हेतु जारी आदेशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

(11) यदि पट्टा आवंटन/नीलामी की अवधि में पट्टाधारक आवंटन/नीलामी की शर्तो का उल्लंघन करता है, तो जिलाधिकारी आवंटी/नीलामी प्राप्तकर्ता को कारण बताओ नोटिस जारी करके आवंटन/नीलामी निरस्त कर सकेगा और पुनः नीलामी की कार्यवाही की जायेगी।

(12) किसी मामले में यदि मा0 उच्चतम न्यायालय, मा0 उच्च न्यायालय, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एन0जी0टी0) या अन्य कोई न्यायालय का आदेश है तो वह प्रभावी रहेगा ।

भवदीय,
सुरेश चन्द्रा
प्रमुख सचिव

<u>संख्या-33(1)/एक-2-2019 तद्दिनांक:</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन ।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन ।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन ।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
6. गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,
जी0एस0 प्रियदर्शी
सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.nic.in